कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

Room No. 21, Email ID- fokabirdham.cg@gov.in, Phone No.- 07741-232048

।। ज्ञापन ।।

क्रमांक / 1575 खाद्य / सू.का.अ. / 2026 कबीरधाम, दिनांक 22/06 / 2026

प्रति,

श्री आकाश केशरवानी
पता–शंकर नगर वार्ड क्रमांक–08, कवर्धा
जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् जानकारी के संबंध में।

संदर्भ :– आपका आवेदन दिनांक 02.06.2026।

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके द्वारा संग्रहण केन्द्रों बाजार चारभाठा एवं बघर्रा में धान खरीदी वर्ष 2024–25 में चूहों द्वारा सात करोड़ रूपये से अधिक राशि के धान चूहे खाने के संबंध में जांच कमेटी गठित किया गया था एवं कमेटी द्वारा प्रस्तुत किए गए जांच रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि चाही गई है।

उक्त संबंध में विदित हो कि आपके द्वारा उठाए गए विषय "चूहों द्वारा सात करोड़ से अधिक राशि के धान चूहे खाने के" संबंध में इस कार्यालय से कोई जांच कमेटी गठित नहीं की गयी है। अतः जानकारी निरंक है।

वस्तुतः संग्रहण केन्द्र केवल बाजार चारभाठा के प्रभारी की अनियमितता के संबंध में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुयी थी जिस पर जांच कमेटी का गठन किया गया है। जिस पर जांच दल की रिपोर्ट अप्राप्त है।

पुनश्च आपकी जानकारी के लिए जांच दल के गठन संबंधी जानकारी 04 पृष्ठों की है, अतः निर्धारित शुल्क 8.00 रूपये नियमानुसार जमा कर उक्त जानकारी प्राप्त कर सकते है।

यदि आप उपरोक्त जानकारी से असंतुष्ट है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री चन्द्रशेखर देवांगन (खाद्य अधिकारी) के समक्ष कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) कबीरधाम कक्ष क्रमांक–21 में समय–सीमा में नियमानुसार अपील आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

जन सूचना अधिकारी
जिला कार्यालय (खाद्य शाखा)
जिला–कबीरधाम (छ०ग०)

Scanned with OKEN Scanner